न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — मोहम्मद ताहिर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :— 13/दावा/2017

1. प्रभू आयु बालिग उ0 मोती जाति जाट निवासी जमीतपुरा
2. श्रीमति रतन आयु बालिग पुत्री मोती जाति जाट निवासी जमीतपुरा
3. बरजी आयु बालिग पुत्री मोती जाति जाट निवासी जमीतपुरा
4. ग्यारसी आयु बालिग पुत्री मोती जाति जाट निवासी जमीतपुरा
5. सजना आयु बालिग पुत्री मोती जाति जाट निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरि जिला कलक्टर महोदय बून्दी
2. तहसीलदार साहब तहसील तालेडा जिला बून्दी

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,89 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री अनिल खिड़िया अधिवक्ता, वादीगण।
2. राज्य की ओर से पैरोकार सरकार।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—20.05.2019

1. वादीगण की ओर यह वाद पत्र अधिकार घोषणा का दिनांक 27.02.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. नई 176 व पुरानी 157, खसरा सं. 367 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 368 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम नैणदा पटवार हल्का अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि पर आवंटन के पश्चात से लगातार आज दिन तक वादीगण निरन्तर एवं निर्बाध रूप से, बेरोक टोक कास्त करते चले आ रहे है तथा उससे पैदा होने वाली फसल को प्राप्त करते चले आ रहे है। आज भी वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि की सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा करवा दी है तथा वर्तमान में वादीगण की तरफ से कोई राजकीय राशि बकाया नही है। उक्त वर्णित आराजी गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज नही होने के कारण वादीगण किसी प्रकार की राजकीय योजना का लाभ नही उठा पा रही है न ही बैंकर्स ऋण वगै0 प्राप्त कर सकते है जिससे वादीगण को नुकसान हो रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करे।
3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर वर्णित किया कि भूमि आवंटन सबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही है अतः वाद वादी अस्वीकार है।

Scanned by CamScanner

4. वादीगण की ओर से साक्ष्य में प्रभू, गोविन्द, रतन बाई, ग्यारसी बाई, सजना व बरजी के शपथ पत्र पेश किये तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमें नक्शा टेस प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–3, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श–4, रसीद प्रदर्श–5 लगायत 9, राशनकार्ड प्रदर्श–10, आधार कार्ड प्रभूलाल प्रदर्श–11, मृत्यु प्रमाण–पत्र जानकी बाई प्रदर्श–12, फौती इंतकाल प्रदर्श–13, जमाबन्दी सम्वत 2041–2044 प्रदर्श–14, नामांतकरण पंजीका प्रदर्श–15, शुद्धिपत्र प्रदर्श–16, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–17 एवं सेटलमेन्ट इन्द्राज खसरा प्रदर्श–18 है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादीगण को प्रदान किये जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार ने वाद वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुये वाद वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। न्यायालय के सामने मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि **वादीगण वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है?** विचारणीय बिन्दू इस प्रकार है कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 2, प्रदर्श 4 व प्रदर्श 13 से प्रमाणित है कि वादीगण के नाम गैरखातेदारी में दर्ज थी। **वादी वकील ने दौराने बहस कानूनी नजीर मोहम्मदीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आर.आर.डी. 2014 पेज नं. 741 पेश की जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह सिंद्धात प्रतिपादित किया गया है कि 1970 के आवंटन नियमों के नियम 18 के तहत सभी शर्ते पूर्ण करने पर आवंटन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी मिल जानी चाहिये। खातेदारी अधिकार प्रदान करने में 40 वर्ष की देरी विधि संवत नही है।** तहसीलदार तालेडा को खातेदारी में दर्ज करने का आवेदन करने पर भी तहसीलदार तालेडा द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई जबकि उपरोक्त कानूनी नजीर के अनुसार इस प्रकार की स्थिति में यह संबधित तहसीलदार का वैधानिक दायित्व था कि वह वादीगण के पक्ष में उसके आवेदन पत्र का इंतजार नही करते हुये गैरखातेदारी से खातेदारी के अंकन अभिलेख में अंकित करते। **आर.एल.डब्लयू 2008 पार्ट 1 आर.जे. पेज 496 निरंजन लाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य** में माननीय मण्डल की एकल पीठ ने तहसीलदार को निर्णयों की अनुपालना हेतु निर्देश जारी करने का मत प्रतिपादित किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है कि आवंटन निरस्त हो गया हो तथा पैरोकार सरकार की और से ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया गया कि वादीगण की और किसी प्रकार का कोई राजस्व बकाया हो अथवा भू– राजस्व नियम 1970 के नियम 18 के अनुसार किन्ही शर्तो का उल्लंघन किया हो। ऐसीस्थिति में वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिवार प्राप्त करने के अधिकारी पाय जाते है।

–:: निर्णय ::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नई 176 व पुरानी 157, खसरा सं. 367 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 368 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम नैणदा पटवार हल्का

Scanned by CamScanner

अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी पर वादीगण को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

निर्णय किया

पढ़ा सुना

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी तालेडा
जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner